

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:-

छपरा जिलान्तर्गत अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से संबंधित नौ (09) अर्द्ध उन्नयन कार्य हेतु कुल ₹78,96,105/- (अठहत्तर लाख छियानबे हजार एक सौ पाँच रुपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा के पत्रांक 89 अनु0 दिनांक-14.01.2025 द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल ₹78,96,105/- (अठहत्तर लाख छियानबे हजार एक सौ पाँच रुपये) मात्र के लागत पर विषयांकित कार्यों से संबंधित नौ (09) अर्द्ध उन्नयन कार्य पर विभागीय पत्रांक-308(भ) दिनांक-03.03.2025 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त बजट प्रशाखा के पत्रांक-11719(भ) दिनांक-29.12.2025 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा का पत्रांक-2133 अनु0 दिनांक-26.12.2025 द्वारा विषयांकित कार्यों का वित्तीय वर्ष 2025-26 में तथा बजट प्रशाखा के पत्रांक-3858(भ) दिनांक-28.04.2026 में व्यय की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्ति के पश्चात् उक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-053-स्व स्थाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-अनुक्षण और मरम्मत-मतदेय विपत्र कोड-03-2059800530001 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0001.27.02-अनुक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकल्पीय होगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ध्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा होंगे।
5. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, छपरा से की जायेगी।
6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं.सं.-भ0उ0वि0/यो0(छप0)-89/2023 के पृष्ठ-28/दि. पर दिनांक-28/02/24 को प्रदान की गयी है।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं.सं.- भ0उ0वि0/यो0(छप0)-89/2023 के पृष्ठ-37/दि. पर प्राप्त है।
9. वित्त विभागीय परिपत्र सं.-7355 वि0(2) दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग(बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-

११ (अ)

पटना, दिनांक-

२१/१/२८

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता(उत्तर), बिहार/निरूपण उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/उप निदेशक-१ एवं २/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी(बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।